न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना I.A.S.

प्रकरण संख्या – 61/2021 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0–2021/227

1. पांची बाई पत्नि देवीलाल जाति बैरवा निवसी चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

बनाम

––प्रार्थी.

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी,
2. महाप्रबन्धक (तक) भ.रा.रा.प्रा. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय क्षैत्रीय कार्यालय एफ–120, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर
4. महाप्रबंधक (तक) एवं प्रोजेक्ट डयरेक्टर, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई ए–504, इन्द्रा विहार, कोटा राज0

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा 3–जी–5 अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्था पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 2

निर्णय

दिनांक :– 25.04.2022

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी–5, अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन पर उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 48–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे निमार्ण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अन्य भूमियों के साथ साथ ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 1156 की रकबा 0.3252 हे0 चाही तृतीय व खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.4942 हे0 बारानी तृतीय भूमि भारतमाल परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन के अनुरक्षण प्रबंधन एवं प्रचालन के लोक परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाकर अवार्ड कमांक/305–307 दिनांक 22.3.2021 जारी किया गया तथा भुगतान हेतु जारी नोटिस कमांक/381 दिनांक 8.6.2021 की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2021 को प्रस्तुत किया गया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 2 व 3 की ओर से एड0 विकास सोनी जर्ये महेन्द्रा कुमारी वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 1156 की रकबा 0.3252 हे0 चाही तृतीय व खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.4942 हे0 भूमि भारतमाल परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन के अनुरक्षण प्रबंधन एवं प्रचालन के लोक परियोजना के लिए अधिग्रहण की जा रही है । भूमिधारक को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है । उक्त मुआवजा पूर्व में दिये गये मुआवजे से 50–50 प्रतिशत कम आंका गया है । सन 2020 में तथा उससे पूर्व भूमिधारक की भूमि अवाप्त की गयी है उसको रोड से 1 कि. मीटर के अन्दर तथा सडक सीमा से 500 मीटर तक असिंचित भूमि हेतु 11,92,895/– प्रति हेक्टयर के हिसाब से मुआवजा राशि डी एल सी रेट के अनुसार निर्धारित की गयी है । प्रार्थीया की भूमि अवाप्ति में 500 मीटर के अन्दर होने पर भी उक्त डी0 एल0 सी0 रेट से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण न कर कम दर से प्रार्थीया को मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है जो डी एलसी रेट के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीया को सुने बिना ही अवाप्त की गयी राशि का निर्धारण कर दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है । अतः प्रार्थीया के खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त अवाप्त की जाने वाली 8 लेन प्रयोजनार्थ भूमि का प्रचलित बाजार दर एवं डीएलसी रेट से 3 गुणा प्रति हैक्टयर गणना कर तद्नुसार सोलेशियम की राशि ब्याज एवं अन्य देय लाभ प्रार्थीया को दिये जाने के सम्बन्ध में संशोधित आदेश पारित करने की आज्ञा पारित फरमाई जावें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 2 एन0एच0ए0 आई0 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि वाके ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन (भारतमाला) हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि के साथ साथ धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ.4803(अ) दिनांक 31.12.2020 को जारी की जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10.01.2021 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 1156 की रकबा 0.3252 हे0 चाही तृतीय व खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.4942 हे0 निजी पांची बाई पत्नि देवीलाल जाति बैरवा की सम्मिलित है । जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तसुदा भूमि का मूल्य एवं निमार्ण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीसलसी दर के आधार पर की गई है । केन्द्रीय सड़क परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना 3ए वक्त भूमि की किस्म अनुसार प्रतिकर की राशि का निर्धारण किया किया जाकर RFCTLARR Act 2013 के तहत किया गया है । अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है । अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है । लोकहित में राजमार्ग का निमार्ण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सकें । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें । प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है ।

8. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी के खसरा नं0 1156 की रकबा 0.3252 हे0 चाही तृतीय व खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.4942 हे0 भूमि (भारतमाला) एन0एच0 148–एन में अवार्ड पारित किया गया है । वकील प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार प्रार्थना पत्र के साथ एवं दौराने बहस प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मुआवजा कम दर से दिया गया है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड आदेश अनुसार भूमि का मुआवजा 3ए के समय प्रचलित डीएलसी दर से भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत ही तय किया जाना प्रतीत होता है ।

9. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा